अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

हमारी मांगें–

भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में–

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का यह **केकाम केन्द्र एवं सम्बन्धित सभी राज्य सरकारों से** मांग करता है कि–

1. भूमि अधिग्रहण से होने वाले **सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन (SIA) के प्रावधानों को** समाप्त न किया जाये और **न ही इसे ढीला किया जाये ।**
2. **इस कानून के पूर्व–प्रभाव से लागू होने वाले इन प्रावधानों को समाप्त किया जा रहा है जो अनुचित है। इसे यथावत रखा जाये।** जल्दबाजी में ऐसे महत्वपूर्ण कानून में कोई संशोधन न कर **व्यापक विचार–विमर्श व पारदर्शिता पूर्वक ऐसा किया जाये और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रावधानों को नही छेड़ा जाए।**
3. किसानों एवं जनजाति समाज के लोगों को भी विकास में भागीदार बनाया जाये न कि विकास के नाम पर उन्हें दर–दर की ठोकरें खाने के लिये सड़कों पर धकेल दिया जाये। विकास रूपी समुद्र मंथन का जहर ही नहीं, उसका अमृत भी हम सब बांटकर पीयें। **विस्थापित लोगों के पुनर्वास की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारों की है, सरकारें स्वयं करें या जिनके लिये भूमि अधिग्रहीत की जा रही है–उनसे करवायें।**
4. देश की खाद्य सुरक्षा को आंच नहीं पहुंचे और देश में उपलब्ध सारी भूमि का समुचित उपयोग हो, इसके लिये **राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति (जो भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का भी हिस्सा है)** बनाई जाये और एतदर्थ **राष्ट्रीय भूमि उपयोग प्राधिकरण** का शीघ्र गठन किया जाये। साथ ही केन्द्र एवं राज्यों में **विस्थापन की निगरानी हेतु प्रस्तावित समितियों का शीघ्र गठन** किया जाये जिसका प्रावधान नये भूमि अधिग्रहण कानूनमें है।

अल्पसंख्यकों के बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम Multi-Sectoral Development Programme **(MSDP) की विसंगतियों को दूर कर न्याय संगत बनाने के बारे में–**

अ. भा. वनवासी कल्याण आश्रम का **केन्द्रीय कार्यकारीमण्डल (केकाम) केन्द्र सरकार से मांग** करता है कि :

1. अल्पसंख्यकों के बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की **ईमानदारी से समीक्षा की जाये** और आम जनता के वास्तविक विकास की भावना और उद्देश्यों के अनुसार **नई गाईड लाईन** बनाई जाये ताकि कोई भी व्यक्ति दोहरा लाभ नही उठा सके।
2. अन्य–पिछड़ावर्ग / अल्पसंख्यकों के **प्रमाण पत्रों में जाति का कालम** जोडा जाये व **अनु. जनजातियों के कालम में धर्म का कालम फिर से जोड़ा** जाए ताकि दोहरा लाभ लेनें की संभावना को समाप्त किया जा सके। जनजातियों के प्रमाणपत्र में पहले यह कालम होता था जिसे बाद में हटा दिया गया।